मानव संसाधन विकास मंत्री की विवेकाधीन
निधि में से निधियों के संवितरण के लिए नियम
[16, अक्तूबर, 2012 से संशोधित दिशा-निर्देश]

1. निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की विवेकाधीन निधि में अनुदान संस्वीकृत किए जा सकते हैं:-

(क) सामान्य/तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी/विशिष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए।

(ख) 10वीं/12वीं की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा के तहत श्रेणीकरण प्रणाली में कम से कम बी1 ग्रेड के साथ आपवादिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चों और जिन बच्चों के माता-पिता की आय निम्नलिखित वरीयता क्रम में 5000/- रुपए मासिक से अधिक नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए-

i. शहीदों की-विधवाओं के बच्चे
ii. विधवाओं/तलाकशुदा/एकल माता के बच्चे
iii. शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे
iv. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पूर्व सैनिकों से संबंध रखने वाले बच्चे
v. ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं
vi. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित बालिकाएं।

1.1 इस सहायता के उद्देश्य के लिए बच्चे को केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए।

2. क) इस निधि से सहायता से या तो पूर्णत: अथवा पर्याप्त रुप से परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए निधि उपलब्ध नहीं होगी।
ख) विवेकाधीन अनुदान का आशय व्यक्तियों को निजी धर्मार्थ संवितरण के लिए नहीं है।
ग) सरकारी कर्मचारियों (केन्द्र तथा राज्य सरकार) के बच्चे इस निधि में से सहायता के पात्र नहीं होंगे।
घ) मैडिकल की शिक्षा के लिए इस निधि से सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

3. सभी अनुदान व्यक्तिगत रूप से लिखित में दिए गए आदेशों के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेक से दिए जाएंगे।

4. किसी ऐसे मेधावी विद्यार्थी जिसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को दी गई अनुदान की राशि किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, सामान्य रूप में क्रमश: 20,000/- और 40,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में भारी राशि वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा पर्याप्त रूप से विचार किए गए कारणों के लिए दी जा सकती है।

5. दिए गए सभी अनुदान अनावर्ती प्रकृति के होंगे और इनकी कोई आवर्ती देयता नहीं होगी।

6. दिए गए अनुदान का उपयोग उसकी संस्वीकृति के एक वर्ष के भीतर अनुदान ग्राही द्वारा किया जाएगा।

7. साधारणतया अनुदान उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जहां अनुदान अथवा सहायता उन्हीं उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा दिए गए हैं अथवा निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक के द्वारा इंकार कर दिए गए हैं :

i. भारत के उप-राष्ट्रपति;
ii. भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की मंत्री परिषद के सदस्य;
iii. भारत सरकार के मंत्रीमंडलीय सचिव;
iv. केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रालय/विभाग;
v. केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी

7.1 इस दिशा में एक प्रमाण पत्र अनुदानग्राही की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा।

.....2/-

8. भुगतान भारतीय कैनरा बैंक, जनपथ, नई दिल्ली पर चैक द्वारा किया जाएगा और नियंत्रण अधिकारी के निदेश के तहत भुगतान एवं लेखाधिकारी (शिक्षा) द्वारा जारी ग्रांटी के नाम में किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग का अवर सचिव (रोकड़) आहरण और वितरण अधिकारी होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री की विवेकाधीन निधि से अनुमति जारी करने वाले संबंधित अनुभाग को साधारण प्राप्ति पर एक बिल तैयार करना होगा और तब इसे संगत संस्वीकृति आदेश के साथ रोकड़ अनुभाग को प्रेषित करना होगा ताकि वे वेतन और लेखा अधिकारी से चैक प्राप्त कर सकें।

9. प्राप्तकर्ता को फार्म-I में संलग्नानुसार प्राप्ति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव जो मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के लिए नियंत्रण अधिकारी होंगे, वे इन नियमों के लिए संलग्न फार्म-II में संस्वीकृति का रजिस्टर तैयार करवाएंगे जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा संस्वीकृत निधियों में से जारी तथा समय-समय पर बकाया सभी संवितरण क्रमित रूप से दर्ज किए जाएंगे।

11. संवितरण अधिकारी फार्म-III में जारी किए जाने वाले चैकों का रजिस्टर तैयार करेगा और ग्रांटी की प्राप्ति भुगतान होने के तुरंत बाद वेतन एवं लेखाधिकारी (शिक्षा) को प्रेषित करेगा।

12. नियंत्रण अधिकारी संस्वीकृति रजिस्टर तथा चैक जारी करने वाले रजिस्टर का आवधिक रूप से निरीक्षण करेगा और ऐसी अन्य जांच की कार्रवाई करेगा जो वितरण के समुचित लेखन के लिए वह आवश्यक समझे।

13. नियम 1 के अंतर्गत ग्रांटी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा कि अनुदान का उस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है जिसके लिए वे मंजूर किए गए थे। ग्रांटी द्वारा संगत प्राप्ति बाउचर इत्यादि के साथ व्यय के ब्यौरे दर्शाते हुए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. इस उद्देश्य के लिए प्राप्ति किसी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना एकल रूप से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकाधीन होगा। अनुदान केवल एक बार ही उपलब्ध होगा और दूसरे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुदान केवल परिवार के एक सदस्य के लिए ही उपलब्ध होगा। आवेदन-प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज़ अंग्रेजी अथवा हिन्दी में ही होने चाहिए। यदि कोई दस्तावेज़ क्षेत्रीय भाषा में जारी किया जाता है तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए। अनुदित अंश को संबंधित क्षेत्र/संस्था के बीडीओ/एसडीएम/किसी राजपत्रित अधिकारी/स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित करवाया जाना अपेक्षित होगा। ऐसे मामलों में मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां तथा अनुदित अंश की सत्यापित प्रतियां, दोनों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

15. मानव संसाधन विकास मंत्री की विवेकाधीन निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए छात्रों को वेबसाइट mhrd.gov.in में उपलब्ध निर्धारित आवेदन-पत्र (अनुबंध-I) में आवेदन करना आवश्यक होगा। फार्म-अंग्रेजी अथवा हिन्दी में भरा जाना चाहिए।

फार्म-I

<u>प्रोफार्मा प्राप्ति</u>

मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकाधीन अनुदान में से संस्वीकृत _____ रुपए

(शब्दों में_____ रुपए)

_____मंत्रालय/विभाग से

_____बैंक, नई दिल्ली के नाम पर देय क्रासड चैक संख्या

_____ दिनांक_____ द्वारा प्राप्त किए।

दिनांक_____

(मुहर)

स्थान_____ हस्ताक्षर

फार्म-II

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

ई-I अनुभाग द्वारा रखे जाने वाला मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकाधीन अनुदान की संस्वीकृति का रजिस्टर

आबंटित बजटः- _____

वर्षः _____

क्र.सं.	ग्रांटी का नाम	छात्र के मामले में ग्रांटी के अभिभावक के ब्यौरे अर्थात् नाम और पता	अनुदान का उद्देश्य	एचआरएम के आदेश की तारीख	संस्वीकृति आदेश संख्या और तारीख	संस्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7

बिल सं. और तिथि	चैक सं. एवं तिथि	चैक जारी करने की तिथि	उत्तरोत्तर व्यय	अव्ययित शेष
8	9	10	11	12

फार्म-III

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

मानव संसाधन विकास मंत्री का विवेकाधीन अनुदान - जारी चैक और उपयोग प्रमाण-पत्र का रजिस्टर

क्र.सं.	चैक सं. और दिनांक	लाभार्थी का नाम	राशि (रु.)	वितरण अधिकारियों के हस्ताक्षर	चैक प्रेषित करने की संख्या और तारीख	चैक की भुगतान प्राप्तकर्ता की प्राप्ति	उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुबंध-I

मानव संसाधन विकास मंत्री की विवेकाधीन निधि
के अतंर्गत सहायता अनुदान के लिए आवेदन हेतु
आवेदन-पत्र

(संस्था के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित अपना फोटोग्राफ चिपकाएं)

अध्ययन हेतु सहायता का अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए

1.	आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	लिंग (पुरुष/महिला)	
3.	नागरिकता	
4.	जन्म तिथि (ईसा युग में)	
5.	पिता का नाम	
6.	पिता के व्यवसाय की जानकारी	
7.	पिता की कुल मासिक आय (प्रति माह)	
8.	माता का नाम	
9.	माता के व्यवसाय की जानकारी	
10.	माता की कुल आय (प्रति माह)	
11.	यदि माता-पिता जीवित नहीं तो अभिभावक का नाम और उनके व्यवसाय की जानकारी	
12.	अभिभावक की आय (प्रति माह)	
13.	अध्ययन का विवरण	
	क) पूरे पते के साथ स्कूल/कॉलेज/संस्था का नाम	
	ख) कक्षा	
	ग) पिछले वर्ष की परीक्षा/पिछले शैक्षिक वर्ष के अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। उस संस्था के प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जहां आवेदक पढ़ रहा है अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए	

	घ) सहायता अनुदान के लिए अनुरोध का कारण	
	ङ) क्या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से सीधे अथवा संस्था के माध्यम से किसी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है	
	च) यदि हां, तो संस्था के प्रमुख द्वारा सत्यापित करवाते हुए संस्वीकृति का वर्ष, राशि के ब्यौरे प्रदान करें	
	छ) यदि नहीं, तो संस्था के प्रमुख से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न करें	
14.	पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक व्यय और मांगी गई वित्तीय सहायता की राशि।	

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सूचना सही, संपूर्ण तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यदि, उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जाए तथा मेरे विरूद्ध भारत सरकार के नियमों के अनुसार यथोचित कार्रवाई आरंभ की जाए। मैं यह भी वचन देता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में उपर्युक्त निधियों के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता नहीं ली गई है।

_____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थानः

_____

दिनांकः (आवेदक का नाम)

पताः _____

_____

दूरभाष सं. (यदि कोई हो) _____

ई-मेल पता (यदि कोई हो)_____

संलग्नकः-

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक हैं

1. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
2. पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा/सेमेस्टर के अंक-पत्र की सत्यापित प्रति।
3. संबंधित क्षेत्र के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से माता-पिता/अभिभावक की आय का मूल प्रमाण-पत्र।
4. उस संस्था के प्रमुख से किसी राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/संगठन से छात्रवृत्ति/स्टाइपंड/सहायता अनुदान प्राप्त होने/नहीं प्राप्त होने के संबंध में मूल प्रमाण-पत्र जहां आवेदक वर्तमान में पढ़ रहा है।
5. व्यक्ति से इस आशय का एक शपथ-पत्र कि किसी भी मंत्रालय/विभाग द्वारा समान उद्देश्य के लिए कोई अनुदान अथवा सहायता प्राप्त नहीं हुई है अथवा नियम 7 के अंतर्गत किसी भी प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत नहीं की गई है।
6. माता-पिता से इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने मानव संसाधन विकास मंत्री की विवेकाधीन निधि से सहायता प्राप्त नहीं की है।

टिप्पणीः-

(क) अपूर्ण आवेदन अथवा उपर्युक्तानुसार संलग्नकों के बगैर प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(ख) ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ों/सूचना के अतिरिक्त मंत्रालय बाद के चरण में ऐसी कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है जो वह आवेदन की जांच करते हुए आवश्यक समझे तथा व्यक्तियों द्वारा उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) <u>यह नोट किया जाए कि इस उद्देश्य के लिए प्राप्त किसी आवेदन पर अनुदान देना अथवा उसे अस्वीकृत करना एकल रूप से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकाधीन होगा।</u>

******